

**Continuation Note Sheet**

२२५-२१



८७६  
मन्थन सिंह

यात्रा की ओर से अधिवक्ता यात्रा  
 द्वारा मूल वाद में यात्रा पत्र प्रकाशित  
 पर पत्रावली प्रेषित की गई। अधिवक्ता  
 वादी द्वारा मूल वाद को नोट प्रेस करने पर  
 मूल वाद खारिज किया जा चुका है। मूल  
 वाद के खारिज होने से यह प्रकरण भी  
 खारिज किया जाता है। मूल वाद के खारिज  
 होने से इसका प्रकरण में जारी आदेश  
 विशेषाज्ञ दिनांक ०२-३-२० स्वतः निरस्त  
 है। पत्रावली द्वारा नोट ले का होकर  
 संलग्न मूल वाद संख्या २०/२० अनवान  
 मन्थन सिंह / नदीगिरि देवे।

(उत्तर दिने स्वर)